आदेश की क्रम सं0 और तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id :- dccourt.grd@gmail.com)

जमाबंदी रद्द वाद सं0– $\frac{16/2008-09}{2018}$

खागो साव वगै0 –बनाम– राज्य एवं अलाउद्दीन मियां वगै0

1	2	3

23.07.2021

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक 119/रा0, दिनांक 17.04.2018 द्वारा विविध वाद सं0–16/2008–09, खागो साव वगै0 बनाम राज्य एवं अलाउद्दीन मियां वगै0 से संबंधित अभिलेख बंदोबस्ती रद्द करने की अनुशंसा के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अग्रसारित किया गया है।

वादगत भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	कुल रकवा	भूमि की किस्म
कुसमरजा	94	63	09 एवं 10	07.00 एकड़	गैरमजरूआ खास

वाद संधारण पश्चात उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया एवं सुनवाई की निर्धारित तिथियों में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है :–

उपरोक्त वर्णित ब्यौरे की भूमि पर प्रथम पक्ष का घर निर्मित है तथा वादगत भूमि के अंश भाग पर उनके द्वारा खेती का कार्य भी किया जाता रहा है। वादगत भूमि पर एक सामुदायिक भवन भी निर्मित है। विपक्षी मो0 अलाउद्दीन एवं अन्य द्वारा वर्ष 1975–76 में तत्कालिन अंचल अमला की मिलीभगत से भूमि के भौतिक स्वरूप को छिपाकर सरकारी बंदोबस्ती प्राप्त कर लिया गया। बंदोबस्ती की तिथि से अबतक विपक्षी कभी भी वादगत भूमि पर दखलकार नहीं रहे है। प्रथम पक्ष के लोग भूमिहीन तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन–बसर करने वाले परिवार के सदस्य है। समस्या के निदान हेतु तत्कालिन विधायक स्व0 महेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में लिये गए पंचायती निर्णय के आलोक में भी विपक्षीगण के नाम से सरकारी बंदोबस्ती को रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया था।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है :–

भू–बंदोबस्ती वाद सं0–23/1975–76, 25/1975–76, 27/1975–76, 28/1975–76, 29/1975–76 तथा 30/1975–76 के बंदोबस्तधारियों को भूमि की बंदोबस्ती आवश्यक जाँचोपरांत सक्षम पदाधिकारी के आदेश से की गई है। बंदोबस्ती की प्रक्रिया में बंदोबस्तधारियों द्वारा सलामी दी गई है तथा निर्धारित

लगान का भुगतान कर वे सरकारी लगान रसीद भी प्राप्त करते आ रहे है। साथ ही वादगत भूमि पर निर्मित सामुदायिक भवन का निर्माण बंदोबस्तधारियों की सहमति से ही सरकारी निधि से हुआ है। सरकारी बंदोबस्ती होने के बावजूद प्रथम पक्ष खागो साव के द्वारा वादगत भूमि के अंश भाग पर जबरन एक खपरैल मकान का निर्माण कर लिया गया है। बाहूबल का उपयोग कर बनाए गए उक्त खपरैल मकान में कोई वास नहीं करते हैं एवं परती भूखंड पर विपक्षीगण ही दखलकार है। प्रथम पक्ष के राजनीतिक एवं प्रभावशाली रख–रसूख तथा दवाब के कारण असुरक्षा की भावना से ग्रसित होकर विपक्षीगण द्वारा वर्त्तमान में अपने बंदोबस्त भूमि का जोत–आबाद करना बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वादगत भूमि पर स्वत्व निर्धारण से संबंधित स्वत्व वाद सं0–169/2007 एवं 127/2008 माननीय व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अंचल अधिकारी, बगोदर तथा अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश को खारीज करने की कृपा की जाय।

अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2008 में निम्न तथ्यों को प्रतिवेदित किया गया है :–

मौजा–कुसमरजा के खाता सं0–63, प्लॉट सं0–09 एवं 10, कुल रकवा–07.00 एकड़, किस्म–गैरमजरूआ खास भूमि की बंदोबस्ती विपक्षी अलाउद्दीन मियां व अन्य छः(6) व्यक्तियों के नाम से पूर्व में की गई है। स्वयं की उपस्थिति में उक्त भूमि का अंचल निरीक्षक, हल्का कर्मचारी, अंचल अमीन एवं उपस्थित ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच स्थल जाँच किया गया। अमीन द्वारा की गई मापी एवं स्थल जाँच में बंदोबस्तधारियों का बंदोबस्त भूमि पर किसी प्रकार का दखल–कब्जा नहीं पाया गया। स्थल जाँच में वादगत भूमि पर प्रथम पक्ष व अन्य व्यक्तियों का दखल–कब्जा पाया गया। उक्त के आलोक में वादगत भूमि के संबंध में विपक्षी के नाम से निर्गत बंदोबस्ती पर्चा एवं पंजी-II में कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा दिनांक 09.01.2009 को पारित आदेश के तहत् स्वत्व वाद सं0–169/2007 तथा 127/2008 का मामला माननीय व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण किसी प्रकार का विचारण नहीं किया गया है।

अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2018 के तहत् वादगत भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास जंगल भूमि है तथा उक्त गैरमजरूआ खास जंगल भूमि की बंदोबस्ती बगैर भारत सरकार के पूर्वानुमति के की गई है। प्रश्नगत बंदोबस्त भूमि पर बंदोबस्तधारियों का अबतक कोई दखल–कब्जा नहीं है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के ज्ञापांक 6144/रा0, दिनांक 21.12.2017 द्वारा संसूचित संकल्प के आलोक में गैरमजरूआ खास जंगल–झाड़ी भूमि को प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में रखा गया है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(B) के तहत् अवैद्य बंदोबस्ती को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

बंदोबस्तधारियों की विवरणी निम्नरूपेण हैं :–

क्र0	बंदोबस्तधारी का नाम	बंदोबस्ती वाद सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा (एकड़ में)
1	इब्राहिम मियां, पिता चरक मियां	233/1974-75 25/1975-76	63	9/4	1.00
2	मो0 कासिम मियां, पिता चरक मियां	220/1974-75 29/1975-76	63	9/2 10/2	0.60 0.40
3	अलाउद्दीन मियां, पिता चरक मियां	217/1974-75 27/1975-76	63	9/3	1.00
4	हेमतली मियां, पिता चरक मियां	221/1974-75 28/1975-76	63	9/1	1.00
5	वसीर उद्दीन मियां, पिता चरक मियां	222/1974-75 30/1975-76	63	10/4	1.00
6	सफर उद्दीन मियां, पिता चरक मियां	232/1974-75 25/1975-76	63	10/1	1.00
7	जमरूद्दीन मियां, पिता चरक मियां	234/1974-75 24/1975-76	63	10/3	1.00
कुल रकवा :–					**7.00 एकड़**

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, गिरिडीह द्वारा प्रस्तुत मन्तव्य के तहत् वादगत भूमि गैरमजरूआ खास किस्म की है तथा किसी भी पक्ष के द्वारा वादगत भूमि पर अपने दावे के समर्थन में कोई भी वैद्य साक्ष्य/कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के तहत् कायम संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द किया जा सकता है।

–: विचारण व निर्णय :–

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट होता है :–

1. यह कि, अंचल अधिकारी, बगोदर की उपस्थिति में अमीन द्वारा की गई मापी एवं स्थल जाँच में बंदोबस्तधारियों का बंदोबस्त भूमि पर किसी प्रकार का दखल–कब्जा अब तक नहीं पाया गया है।
2. यह कि, वादगत भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास जंगल दर्ज है तथा उक्त गैरमजरूआ खास जंगल भूमि की बंदोबस्ती बगैर भारत सरकार के पूर्वानुमति के की गई है।
3. यह कि, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के ज्ञापांक 6144/रा0, दिनांक 21.12.2017 द्वारा संसूचित संकल्प के आलोक में गैरमजरूआ खास जंगल–झाड़ी भूमि को प्रतिबंधित भूमि की

श्रेणी में रखा गया है।

4. यह कि, अंचल अधिकारी, बगोदर एवं अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अंचल अधिकारी, बगोदर तथा अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए विपक्षीगण के नाम से निर्गत उपरोक्त सभी बंदोबस्ती पर्चाओं को रद्द किया जाता है। साथ ही विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, गिरिडीह के मंतव्य से संतुष्ट होते हुए मौजा—कुसमरजा, खाता सं0—63, खेसरा सं0—09 एवं 10, कुल रकवा—07.00एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि की जमाबंदी को बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के तहत् रद्द किया जाता है।

पारित आदेश की संपुष्टि हेतु अभिलेख आयुक्त न्यायालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के माध्यम से राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

Rahul
जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

Rahul
जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.09.28 14:11:49 +05:30
Location: 192.168.5.138